भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *462
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2019

अल्पसंख्यक समुदाय का आर्थिक विकास

***462. श्री हाजी फजलुर रहमानः**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास के लिये सरकार की कार्ययोजना क्या है; और

(ख) उक्त समुदाय के उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने पर सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिये कार्यान्वित की जा रही नई उड़ान योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है तथा उक्त सहायता का स्वरूप क्या है?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"अल्पसंख्यक समुदाय का आर्थिक विकास" के संबंध में श्री हाजी फजलुर रहमान द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 25.07.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *462 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): सरकार ने केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों, नामतः जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम और ईसाई समुदायों का सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक उत्थान तथा सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं/पहलों की शुरूआत की है। ये योजनाएं/पहलें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा देशभर में कार्यान्वित की जाती हैं।

केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) **मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजनाः** – कक्षा I से X तक के लिए।
(ii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः** – कक्षा XI से पीएच.डी. तक के लिए।
(iii) **मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाः** – व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए।
(iv) **मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तिः** – एम.फिल एवं पीएच.डी के लिए।
(v) **निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना (नया सवेरा):** – व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए।
(vi) **पढ़ो परदेश**:– विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।
(vii) **नई उड़ानः**– संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता।
(viii) **हमारी धरोहर**:– भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए योजना।
(ix) **जियो पारसी**:– छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने की योजना।
(x) **नई रोशनी**:– अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की योजना।
(xi) **रोजगार–उन्मुख कौशल विकास पहलें** – सीखो और कमाओ।
(xii) **नई मंजिल**:– स्कूल ड्रॉपआउट्स की औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशलीकरण की योजना
(xiii) **उस्ताद** – (विकास के लिए परंपरागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन) और बाजार तथा अवसर उपलब्ध कराने के लिए हुनर हाट आयोजित करना।
(xiv) **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम** (पीएमजेवीके):– यह क्षेत्र विकास की एक योजना है। इस मंत्रालय ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 1300 पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान की है। यह अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के जीवन–स्तर को सुधारने के लिए सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना के साथ–साथ बुनियादी सुविधाएं निर्मित करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
(xv) **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ)** शिक्षा और रोजगार संबंधी योजनाएं कार्यान्वित करता हैः–

- केंद्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
- अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को अल्पकालिक रोजगार उन्मुखी कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण।
- नई मंजिल योजना के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा मदरसा छात्रों और स्कूल ड्रॉपआउट्स के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम।
- स्वच्छ विद्यालय पहल।

(xvi) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)** स्व–रोजगार और आय सृजक उद्यमों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

इसके अलावा, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में, जो एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, सहभागी मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों को कवर किया गया है और यह देश भर में कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम में शामिल सभी योजनाएं/पहलें सहभागी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए या तो अनन्य रूप से या समग्र वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए कार्यान्वित की जाती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यमान एवं नई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों एवं रोजगार में साम्यपूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करते हुए, स्वरोजगार तथा राज्य एवं केंद्र सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता प्रदान करते हुए अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in; www.maef.nic.in; और www.nmdfc.org पर भी उपलब्ध है।

(ख): यह मंत्रालय केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए अन्य सेवाओं की परीक्षाओं सहित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु नई उड़ान योजना कार्यान्वित करता है। नई उड़ान योजना के तहत, मंत्रालय पात्र छात्रों को सीधे भुगतान करता है। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 5324 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

मंत्रालय की नया सवेरा योजना विभिन्न ग्रुप क (सिविल सेवा परीक्षाओं सहित), ख और ग परीक्षाओं के लिए तैयारी तथा मेडिकल और तकनीकी सेवाओं के लिए कोचिंग हेतु अल्पसंख्यकों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाती है। इस योजना के अंतर्गत, पिछले पांच वर्षों के दौरान 54,664 युवा पैनलबद्ध गैर–सरकारी संगठनों/संस्थानों के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। विवरण वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

*****